


17/2/22

पत्रावली पेश हुई / पत्रावली का आलोकन किया
गया / अत्रार्थ रामकरण प्रभु क-हेयालाल



द्वारा काटे गए ~~सबसे~~ पेड़ों की
तहसीलदार दोसा द्वारा नीलामी कर
नीलामी राशि राजकोष में जमा
कराई जा चुकी है। किंतु RA Act, 1955
की धारा 86 के तहत प्रावधान है कि
सबसे पेड़ों की कटाई जिनमें RA Act
की धारा 83, 84 का उल्लंघन हुआ
है वहां कोई व्यक्ति से प्रति पेड़
100/- रु. की जुर्माना राशि वसूल
की जाएगी। अतः तहसीलदार दोसा
को आदेश दिष्ट जाते हैं कि प्रकरण
में 15-20 पेड़ काटना दस्तावेजी
आधार पर पाया जाता है अतः
100/- रु. प्रति पेड़ के हिसाब
से कुल राशि 2000/- रु. की
मांग कायमी कर दायियों से
वसूल की जावे। प्रकरण में
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
है। अतः कार्यवाही बंद की
जाती है। प्रकरण फाइल शुमार
लेफ्टर नंबर से बंद है।


उप सचिव अधिकारी
दोसा (राज.)